महत्वपूर्ण/समयबद्ध
ई–पत्रावली सं0–20742

प्रेषक,

डॉ0 आर0 राजेश कुमार, I.A.S,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 07 मई, 2025

विषयः– सौंग बांध पेयजल परियोजना पुनर्वास स्थल हेतु जनपद देहरादून के अन्तर्गत रैनापुरग्रान्ट परगना परवादून तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून में उप निदेशक, उद्योग विभाग के नाम दर्ज 4.4520 हे0 चिन्हित भूमि को सिंचाई विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, सूक्ष्म, लद्यु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–154/VII/3–25/05(01)–एम0एस0एम0ई0/2025 दिनांक 30.04.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सौंग बांध पेयजल परियोजना पुनर्वास स्थल हेतु जनपद देहरादून के अन्तर्गत रैनापुरग्रान्ट परगना परवादून तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून में उप निदेशक, उद्योग विभाग के नाम दर्ज 4.4520 हे0 चिन्हित भूमि को विभिन्न शर्तो के अधीन सिंचाई विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30.04.2025 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सौंग बांध पेयजल परियोजना के पूर्ण प्रभावित श्रेणी के अन्तर्गत 30 भूमिधारक परिवारों एवं उनके 46 वयस्क परिवारों के पुनर्वास हेतु जनपद देहरादून के अन्तर्गत रैनापुरग्रान्ट परगना परवादून तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून में उप निदेशक, उद्योग विभाग के नाम दर्ज 4.4520 हे0 भूमि को राजस्व अभिलेखों में सिंचाई विभाग के नाम दर्ज किये जाने हेतु जिलाधिकारी, देहरादून एवं महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड से समन्वय स्थापित करते हुए धारित नियमों/शासनादेशों एवं प्रक्रिया के आलोक में नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करते हुए यथाशीघ्र शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि।

Digitally signed by
Rajan Rajesh Kumar
Date: 06-05-2025
16:36:36

भवदीय,

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव।

File No. IRR 2-16/16.2/1/2022-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 20742)
Generated from eOffice by VISHAL GOYAL, RO-VG, RO - IRRIGATION, Irrigation and Minor Irrigation Department on 07/05/2025 10:08 AM

Scanned with OKEN Scanner

ई0 पत्रावली संख्या–20742 , तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी गढ़वाल।
6. महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड
7. प्रबन्ध निदेशक, सौंग बांध पेयजल परियोजना, यू0पी0डी0सी0सी0, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Jai Lal Sharma
Date: 06-05-2025
17:15:04

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्याः ---- /VII-3-25/05(01)-एम0एस0एम0ई0/2025

प्रेषक,

विनय शंकर पाण्डेय,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग देहरादून : दिनांकः 30 अप्रैल, 2025

विषयः–सौंग बांध पेयजल परियोजना के अंतर्गत पुनर्वास स्थल हेतु उद्योग विभाग की रैनापुरग्रान्ट परगना परवादून तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून में स्थित 4.4520 हे0 चिन्हित भूमि को सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–I/263769/2024, दिनांक 26.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 21.11.2024 को आहूत बैठक के क्रम में निर्गत कार्यवृत्त संख्या–I/258885/2024, दिनांक 05.12.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सौंग बांध पेयजल परियोजना के अंतर्गत पुनर्वास स्थल हेतु उद्योग विभाग की रैनापुरग्रान्ट परगना परवादून तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून में स्थित 4.4520 हे0 चिन्हित भूमि को सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित किये जाने हेतु अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. अतः इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरांत लिए गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सौंग बांध पेयजल परियोजना के अंतर्गत पात्र विस्थापितों के पुनर्वास हेतु उद्योग विभाग की रैनापुरग्रान्ट परगना परवादून तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून में उप निदेशक उद्योग के नाम 4.4520 हे0 चिन्हित भूमि को सिंचाई विभाग को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

(1) उक्त भूमि का सीमांकन सिंचाई विभाग के अधिकारी/प्रतिनिधि अपने श्रोतों से महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून एवं स्थानीय राजस्व विभाग के अधिकारी की उपस्थिति में करेंगे।

(2) वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–260/वि.अनु.–3/2002, दिनांक 15.02.2002 एवं राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1887/XVIII(II)/2015–18(169)/2015, दिनांक 30.07.2015 में उल्लिखित प्राविधानों का पालन सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

Digitally signed by
Vinay Shankar Pandey
Date: 30-04-2025
17:06:41

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्याः 151 ( )/ VII-3-25/05(01)-एम0एस0एम0ई0/2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव-सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. समुचित सरकार/कलक्टर, देहरादून को उनके पत्र संख्या-432, दिनांक 29.01.2025 के क्रम में।
5. महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त चिन्हित भूमि को सिंचाई विभाग को हस्तांतरित किये जाने हेतु अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
7. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. प्रबंध निदेशक, यू.पी.डी.सी.सी., देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

01/05/25

Digitally signed by
Shiv Shanker Mishra
Date: 30-04-2025
17:40:29

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner